

विज्ञप्ति संख्या-2

संख्या: 1101 / उ0आ0वि0 / भर्ती / विज्ञप्ति / 2021-22

दिनांक: 22 जुलाई, 2021

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसरों में गैर-शैक्षणिक/चिकित्सालय संवर्ग के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि-16.08.2021 की अपरान्ह: 5:00 बजे तक है।

संवर्गवार विज्ञापित पदों का आरक्षणानुसार विवरण व योग्यतायें निम्नवत् है:-

पद कोड	पदनाम	संख्या	वेतनमान	आरक्षण की स्थिति	शैक्षिक अर्हता/योग्यता
01	योग अनुदेशक*	02	9300-34800 ग्रेड वेतन-4200	01 अनुसूचित जाति, 01 अनारक्षित,	1. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से योग विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान में 03 वर्ष का योग प्रशिक्षण का अनुभव।
02	माइक्रोबायोलॉजिस्ट*	02	9300-34800 ग्रेड वेतन-4200	01 अनुसूचित जाति, 01 अनारक्षित,	1. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान या पैथोलॉजी प्रयोगशाला में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।
03	ओ0टी0 नर्स	03	5200-20200 ग्रेड वेतन-2400	01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित,	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी0एससी0 (नर्सिंग) की उपाधि प्राप्त की हो एवं स्टेट नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।
04	ओ0टी0 सहायक	06	5200-20200 ग्रेड वेतन-2400	02 अनुसूचित जाति, 04 अनारक्षित,	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से ओ0टी0 असिस्टेंट/टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए।
05	मिडवाईफ	03	5200-20200 ग्रेड वेतन-2400	01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित,	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

					2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में जी.एन.एम. का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं स्टेट नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।
06	पंचकर्म नर्स	03	9300— 34800 ग्रेड वेतन— 4200	01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित,	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 की माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञानवर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक उपचरिका का 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।
07	पंचकर्म सहायक	14	25000— 81100	08 अनारक्षित, 03 अनुसूचित जाति, 02 अन्य पिछड़ा वर्ग, 01 आधिक रूप से कमजोर वर्ग	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 की माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टेक्नीशियन) का एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, एवं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।
08	एक्सरे टेक्नीशियन	02	5200— 20200 ग्रेडपे 2400	01 अनुसूचित जाति, 01 अनारक्षित	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण के योग्य एक्स-रे टेक्नीशियन/टैक्नालॉजी का डिप्लोमा अथवा डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा डिग्री हो। 3. अभ्यर्थी को राज्य पैरामेडिकल काउन्सिल में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।
09	प्रयोगशाला तकनीशियन	17	5200— 20200 ग्रेडवेतन 2400	10 अनारक्षित, 04 अनुसूचित जाति, 02 अन्य पिछड़ा वर्ग, 01 आधिक रूप से कमजोर वर्ग	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा अथवा डिग्री (डी0एम0एल0टी0/बी0एम0एल0टी0) होना आवश्यक है। 3. अभ्यर्थी को राज्य पैरामेडिकल काउन्सिल में वैध पंजीकरण अनिवार्य है।
10	एनालायटिकल केमिस्ट	03	5200— 20200 ग्रेडवेतन 2400	01 अनुसूचित जाति, 02 अनारक्षित	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एवं भौतिक विज्ञान विषय के रूप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय से

Handwritten signature

					एनालाटिकल कैमिस्ट्री का डिप्लोमा/डिग्री होना आवश्यक है।
11	पुस्तकालय सहायक / सूचीकार	02	5200-20200 ग्रेडवेतन 2400	01 अनुसूचित जाति, 01 अनारक्षित	1. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 की माध्यमिक शिक्षा परिषद इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्रीय (Certificate Course in Library science) होना चाहिए।

नोट:-

- संबंधित पदों पर आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुरूप लागू होगा। पदों की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति/आंशिक विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, तदनुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस सम्बंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा।
- उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
- *उक्त तारांकित पदों (पदकोड-01 व 02) से सम्बन्धित पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति, संख्या: 2861/उ.आ.वि./भर्ती/विज्ञप्ति/2020-21 (विज्ञप्ति संख्या:-1) दिनांक: 19 जनवरी 2021 को निरस्त किया गया है, परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से पूर्व में आवेदन किया हुआ है; उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वर्तमान विज्ञप्ति के अनुरूप अपना आवेदन अपडेट करने की छूट होगी। यदि वे पुनः नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो पुनः आवेदन शुल्क का बैंक ड्रॉफ्ट भी संलग्न करना होगा।
- विज्ञापित पदों पर पदवार लिखित/स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type, multiple choice) की होगी जो 400 अंको की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिये 04 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 01 अंक दिया जायेगा। प्रश्नपत्र में 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा 80 प्रश्न पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों से पूछे जायेंगे। सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित भी होंगे।
- चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार वेतन एवं भत्ते आदि देय होंगे।
- आयु:-** संबंधित पदों पर आयु गणना की निश्चयायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(क) परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड

19

से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

7. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-** जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में सेवारत हों, उन्हें आवेदन करते समय विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. **वैवाहिक परिस्थिति:-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
9. **शुल्क:-** अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
1.	अनारक्षित (सामान्य)	रु० 300/- मात्र
2.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)	रु० 300/- मात्र
3.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस०सी०)	रु० 150/- मात्र
4.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस०टी०)	रु० 150/- मात्र
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150/- मात्र

10. **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो, परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

11. **चरित्र**:- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
- टिप्पणी** :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
12. विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रकाशित विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में विज्ञप्ति निरस्त कर सकता है। इस विज्ञापन में किये गये परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन अथवा दावा मान्य नहीं होगा।
13. अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित प्रतियों सहित) **कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला परिसर, देहरादून-248001** के नाम पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक:- **16.08.2021** की अपरान्ह **05:00** बजे तक प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। तथा उक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में संबंधित पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा/प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें/अद्यतन जानकारियां मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
16. यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।


कुलसचिव